पत्र संख्या– आई0टी0 ई–वे बिल –2017–18/ 1408/1718057 वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0–अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: नवम्बर, 28 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–1014/ग्यारह–9(52)/17 उत्तर प्रदेश अधि0–1–2017 आदेश (31)–2017 दिनांक 21–07–2017 द्वारा प्रदेश में ई–वे बिल व्यवस्था लागू की गयी थी जिसे मुख्यालय के परिपत्र संख्या– 1028 दिनांक 27–07–2017 द्वारा प्रभावी दिनांक 16–08–2017 से लागू किया गया था। शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–1158/ग्यारह–9(52)/17–उ0प्र0 अधि0–1–2017–आदेश(38)–2017 दिनांक 18–08–2017 से उक्त विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की गयी है:

प्रान्त बाहर से माल लाये जाने की स्थिति में 5000/– रूपये या उससे अधिक के कर योग्य माल के स्थान पर 50000/–रूपये या उससे अधिक से माल लाये जाने पर ई–वे बिल 01 का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के भीतर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान तक 1 लाख रूपये या उससे अधिक के स्थान पर 50000/–रूपये या उससे अधिक मेंथा आयल व मेंथाल एवं डी0एम0ओ0/सुपाड़ी/लोहा तथा इस्पात तथा सभी प्रकार के खाद्य तेल व वनस्पति घी के परिवहन पर ई–वे बिल 02 का प्राविधान किया गया है। ई–कामर्स आपरेटर अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिवाहकों /कुरियर अभिकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से 50000/–रूपये या उससे अधिक मूल्य के कराधेय माल का किसी एक व्यक्ति को परिदान हेतु परिवहन किये जाने की स्थिति में ई–वे बिल 03 का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को ले जाने की स्थिति में 50000/– रूपये या उससे अधिक कर योग्य माल के परिवहन के लिये टी0डी0एफ0–01 का प्राविधान किया गया है।

उक्त के कम में यदि कोई व्यापारी ई–वे बिल के माध्यम से किसी भी प्रकार के करापवंचन सम्बंधी प्रकिया में लिप्त प्रतीत होता है तो उस व्यापारी को प्राप्त ई–वे बिल डाउनलोड की सुविधा ब्लाक कराने सम्बंधी विकल्प भी सम्बंधित कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें कोई भी कर निर्धारण अधिकारी अपने ई–वे बिल Approval वाले लॉगिन से जाकर व्यापारी का जी0एस0टिन डालकर व्यापारी को प्राप्त ई–वे बिल की सुविधा को ब्लाक कर सकता है। अधिकारी द्वारा ब्लाक करने के पश्चात व्यापारी की ई–वे बिल माड्यूल में लॉगिन करने की सुविधा समाप्त हो जायेगी तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः Allow करने के पश्चात ही व्यापारी लॉगिन कर ई–वे बिल डाउनलोड कर सकेगा।

उक्त व्यवस्था के सम्बंध में अपने स्तर से समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।